“प्ररूप–क

(देखिए नियम 4 (4)(i))

मतदाता सूची में नाम शामिल करने/ किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए या किसी दूसरे वार्डो में नाम रखने के लिए आवेदन

सेवा में

> हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 ग 3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

नगर परिषद्/नगर पालिका ....वार्ड संख

या

उपायुक्त.......................................,

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त नगर परिषद्/नगर पालिका के लिए मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि की जाए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाए ।

मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)

1. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ....के क्रम संख्या ....भाग नं0.......................... में उल्लेख किया गया है, लेकिन नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है जो अब वार्ड नं0........................... में शामिल किया जा सकता है।
2. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र..

.......के क्रम संख्या .... भाग नं0 .... में शामिल किया गया है और मेरा नाम नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची के वार्ड संख्या .... में शामिल किया जाये।

3. कि मतदाता सूची में प्रविष्टि .... इस तरह सही किया जाए .... इस आधार पर कि ....।

4. कि मेरा नाम वार्ड नं0 .... की बजाय वार्ड नं0 .... में प्रविष्टि किया जाये।

5. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मेरा विवरण वर्णित है, जैसे ....परन्तु नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची में ....के रूप में यथा वर्णित है और इसे ....के रूप में सही करने के लिए अनुरोध है।

6. घोषणाः

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लेखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थानः

दिनांकः

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन का पूरा पता ....

....

....

मोबाईल नं0 ....

टिप्पण :– कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे (नगर परिषद्/नगर पालिका **के पुनरीक्षण प्राधिकारी या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जाना है)**

श्री/श्रीमती /कुमारी.. के मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन को *स्वीकार कर लिया गया है/ *नामंजूर कर दिया गया है।

*स्वीकार करने या नामंजूर करने {हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम–4 के अधीन या उसके अनुसरण में} के लिए **विस्तृत कारणः**

....
....

....
....

....
....

स्थानः **तारीखः**	**पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर**	**(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)**

’अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

प्ररूप क मे श्री/श्रीमती/कुमारी ...., पता...से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या .... में प्रविष्टि किया गया है।

सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय ....

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे तथा आपत्त्यिों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनाकः– **दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान**

प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना

(प्रार्थी के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी ...., जो नगर परिषद/पालिका ....का निवासी है, से प्ररूप क में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान............ ....में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक ....को .... बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते है।

दिनाकः–
आवेदन

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(पता ....
...
...)

नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूचि में मतदाता सूचि में नाम शामिल करने/किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिये या किसी दूसरे वार्डो में नाम रखने बारे आवश्यक जानकारी ।

1. नगर परिषद्/नगर पालिका **की प्रारूप मतदाता सूचि तैयार करना ?**

किसी भी नगर परिषद्/नगर पालिका की प्रारूप मतदाता सूची, विधानसभा की तत्समय उस क्षेत्र के लिए लागू मतदाता सूचि के आधार पर तैयार की जायेगी । नगर परिषद्/नगर पालिका की प्रारूप मतदाता सूचि में केवल उन्ही व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जायेगें जिनका नाम उस समय विधानसभा की सम्बन्धित क्षेत्र के लिए लागू मतदाता सूचि में सम्मिलित हों।

2. **प्ररुप–क कौन दाखिल कर सकता है ?**

नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूचि में नाम शामिल करवाने के लिए केवल वही व्यक्ति प्ररुप–क में पुनरीक्षण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जिसका नाम विधानसभा की तत्समय लागू उस क्षेत्र की मतदाता सूची मे शामिल हो परन्तु किसी कारणवश नगर परिषद्/नगर पालिका की प्रारुप मतदाता सूचि में सम्मिलित न हो पाया हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति प्रारुप मतदाता सूचि की किसी प्रविष्टि में शुद्धि करवाना चाहता है या अपना नाम किसी दूसरे वार्ड में रखना चाहता है, तो वह भी प्ररुप–क में अपना आवेदन पुनरीक्षण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

3. **प्ररुप–क कहां से प्राप्त करें ?**

प्ररुप–क राज्य निर्वाचन आयोग/जिला प्रशासन की वेब–साईट से प्राप्त किये जा सकते हैं या सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी/रिवाईजिंग अथोरिटी या अधिकृत क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी या अधिकृत स्थान या टप्प्बे जहां मतदाता सूचि जनता के निरीक्षण के लिये रखी गई है, बिना किसी मुल्य के प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. **प्ररुप–क कब दाखिल किया जा सकता है?**

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचि बनाने/संशोधन के कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के प्रारुप प्रकाशन के उपरांत निर्धारित समय अवधि के भीतर ही प्ररुप–क दाखिल किया जा सकता

है। इस बारे जन सूचना हेतू स्थानीय समाचार पत्रों व लोकल केबल नैटवर्क से भी व्यापक प्रचार कराया जाता है।

5. **प्ररुप–क कहां दाखिल किया जाये ?**

मतदाता सूचि बनाने/संशोधन की अवधि के दौरान आवेदन उपायुक्त द्वारा अधिसूचित स्थानों पर दाखिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद्/नगर पालिका जिसकी मतदाता सूचि बनाई/संशोधित की जा रही है के क्षेत्र में उपायुक्त द्वारा स्थापित मतदाता सूचना एवं सग्रह केन्द्रों पर भी दाखिल किये जा सकते हैं। आवेदक को अपने आवेदन उपरांत आवेदन की रसीद अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये।

6. **प्ररुप–क कैसे भरें ?**

(i) आवेदक अपना आवेदन पत्र ;प्ररुप–कद्ध पूर्णरुप से भरकर तथा उस पर पासपोर्ट के आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा कर प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदक अपना नाम मतदाता सूचि में नाम शामिल करने/किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिये या किसी दूसरे वार्डो में नाम रखने के लिये खाली स्थान में निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के नाम का उल्लेख करेगा।

(iii) यदि कोई सन्देह हो तो आवदेक को सम्बन्धित रिवाईजिंग अधिकारी या संग्रह केन्द्र से सम्पर्क किया जाना चाहिये।

7. **सावधानी एंव आवश्यक जानकारी**

आवेदक को प्ररुप–क में कोई गलत या झूठी सूचना नहीं देनी चाहिये। यदि कोई गलत या झुठी सूचना पाई जाती है तो आवेदक के खिलाफ हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

8. **क्या कोई व्यक्ति मतदाता सूचि के अतिंम प्रकाशन के पश्चात् मतदाता बन सकता है ?**

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अंतिम रुप से प्रकाशित वार्डवार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह वार्डवार मतदाता सूचि में अपना नाम जोडने/संशोधन हेतू उपायुक्त को आवेदन कर सकता है। परन्तु

नगर परिषद्/नगर पालिका के मतदाताओं की वार्डवार मतदाता सूचि में नाम तभी जोड़ा/संशोधन किया जायेगा, यदि दावेदार/आवेदक का नाम नगर परिषद्/नगर पालिका के निर्वाचन के लिये नामांकन पत्र दायर करने के प्रथम दिन तक विधान सभा की निर्वाचक सूचि के सम्बन्धित भाग में विद्यमान है।

9. **विशेष दिशा निर्देश**

सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी भी आवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंवे कि आवेदक का नाम उस क्षेत्र की तत्समय लागू विधानसभा की मतदाता सूचि के सम्बन्धित भाग में सम्मिलित है अथवा नही।

प्ररूप–ख

{दिखिए नियम 4 (4)(i)}

मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन		
सेवा में पुनरीक्षण प्राधिकारी, नगर परिषद्/नगर पालिका .... .वार्ड सं **या** उपायुक्त.................................., हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X 3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान महोदय, /मैं उपर्युक्त नगर परिषद्/नगर पालिका के लिए मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं : /मैं निवेदन करता हूँ कि 'मुझसे/'नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित हैः		
आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
1. कि श्री/श्रीमति/कुमारी .... का नाम नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची के वार्ड नं0 .... की क्रम संख्या.. ....पर अंकित है, लेकिन यह क्षेत्र जहां यह व्यक्ति रहता है वह नगर परिषद्/नगर पालिका की हद में नही है।		

2. कि श्री/श्रीमति/कुमारी .... का नाम वार्ड नं0 .... की जगह वार्ड नं0 ....में शामिल किया जाए।
3. **घोषणाः** मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर **उल्लिखित** तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।
स्थानः दिनांकः दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आवेदन का पूरा पता .... मोबाईल नं0 ....

टिप्पणः– कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(नगर परिषद्/नगर पालिका **के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)**

श्री/श्रीमती/कुमारी ....
का प्ररूप ख में मतदाता सूची मे श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................

.... के नाम को ’सम्मिलित किए जाने पर/’हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन ’स्वीकार कर लिया गया है /’नामंजूर कर दिया गया है ।

स्वीकार करने या नामंजूर करने {हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (1973 का 24) के नियम 4 के अधीन या उसके अनुसरण में} के लिए विस्तृत कारण :

....
....

....
....

....
....

स्थानः तारीखः	**पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर**	**(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)**

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान

’अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

प्ररूप ख मे श्री/श्रीमती/कुमारी ...., पता... ....से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या .... में प्रविष्टि किया गया है।

सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय ....
....

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे व आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनांक :– **दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान**

प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना

(प्रार्थी के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी ...., जो नगर परिषद्/नगर पालिका ....का निवासी है, से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान............................. ....में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक ....को .... बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते है।

दिनाकः–
आवेदन

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से

प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(पता ....
..
..)

नगर परिषद्/नगर पालिका **की मतदाता सूचि में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने बारे आवश्यक जानकारी।**

1. **प्ररूप–ख कौन दाखिल कर सकता है?**

नियम 4(i) के अनुसार प्ररूप –ख में आपतियां उन आवेदकों द्वारा दायर की जायेगी, जो मतदाता सचि में सम्मिलित नामों के विरूद्व अपना विरोध दर्ज करवाने या नाम का विलोपन करवाने के इच्छुक हो।

2. **प्ररूप–ख कहां से प्राप्त करें ?**

प्ररूप–ख राज्य निर्वाचन आयोग/जिला प्रशासन की वेब–साईट से प्राप्त किये जा सकते हैं या सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी/रिवाईजिंग अथोरिटी या अधिकृत क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी या अधिकृत स्थान या टप्ब्बे जहां मतदाता सूचि जनता के निरीक्षण के लिये रखी गई है बिना किसी मुल्य के प्राप्त किये जा सकते हैं।

3. **प्ररूप–ख कब दाखिल किया जा सकता है?**

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचि बनाने/संशोधन के कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत निर्धारित समय अवधि के भीतर ही प्ररूप–ख दाखिल किया जा सकता है। इस बारे जन सूचना हेतू स्थानीय समाचार पत्रों व लोकल केबल नैटवर्क से भी व्यापक प्रचार कराया जाता है।

4. **प्ररूप–ख कहां दाखिल किया जाये ?**

मतदाता सूचि बनाने/संशोधन की अवधि के दौरान आवेदन उपायुक्त द्वारा अधिसूचित स्थानों पर दाखिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद्/नगर पालिका जिसकी मतदाता सूचि बनाई/संशोधित की जा रही है के क्षेत्र में उपायुक्त द्वारा स्थापित मतदाता सूचना एवं सग्रह केन्द्रों पर भी दाखिल किये जा सकते हैं। आवेदक को अपने आवेदन उपरांत आवेदन की रसीद अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये।

5. **प्ररूप–ख कैसे भरे?**

(i) आवेदक अपना आक्षेप ;प्ररूप–खद्ध पूर्णरूप से भरकर तथा उस पर पासपोर्ट के आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा कर प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदक मतदाता सूचि में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने की विस्तृत जानकारी प्ररूप–ख में देगा।

(iii) यदि कोई सन्देह हो तो आवदेक को सम्बन्धित रिवाईजिंग अधिकारी या संग्रह केन्द्र से सम्पर्क किया जाना चाहिये।

6. सावधानी एंव आवश्यक जानकारी

आवेदक को प्ररूप–ख में कोई गलत या झूठी सूचना नहीं देनी चाहिये। यदि कोई गलत या झुठी सूचना पाई जाती है तो आवेदक के खिलाफ हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

7. क्या किसी व्यक्ति का नाम अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचि से विलोपित किया जा सकता हैघ्

यदि किसी व्यक्ति का नाम तत्समय लागू विधानसभा की मतदाता सूची के सम्बन्धित क्षेत्र में सम्मिलित नही है लेकिन किसी कारणवश उसका नाम नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची में सम्मिलित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का नाम नगर परिषद्/नगर पालिका की अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची से विलोपित करने बारे उपायुक्त को आवेदन किया जा सकता है।

8. विशेष दिशा निर्देश

सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी भी आवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंवे कि आवेदक का नाम उस क्षेत्र की तत्समय लागू विधानसभा की मतदाता सूचि के सम्बन्धित भाग में सम्मिलित है अथवा नहीघ्